# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 83/2022

आरसीएमएस नं. 2022/83

अन्तर्गत आवंटन कृषि भूमि कोलोनाईजेशन नियम 23 (1)

इन्द्राज पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी चक 6 बीएचएम जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2. रणजीत
3. दलीप
4. पूर्णराम
5. इन्द्रसैन

पुत्रगण बृजलाल पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी चक 1 एपीएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

6. श्रीमति इन्दिरा उर्फ चैन (पुत्री बृजलाल पुत्र श्री मनीराम) पत्नी श्री श्योपतराम जाति जाट निवासी चान्देड़ी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. श्रीमति चन्द्रमुखी (पुत्री बृजलाल पुत्र श्री मनीराम) पत्नी श्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी चान्देड़ी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

—— रेस्पोडेंट्स

विरुद्ध आदेश दिनांक 03.03.2022

द्वारा उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा,

प्रा प्रार्थना–पत्र बृजलाल, इन्द्राज पिसरा श्री मनीराम जाति जाट बाबत किश्तों के अभाव में खारिज रकबा को बहाल करने बाबत

श्री रमेश दास पुरोहित, अभिभाषक अपीलार्थी,

श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

श्री युगल किशोर अधिवत रेस्पो0 सं0 2 ता 7

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 15.07.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील पीलीबंगा के चक 6 जेडडब्ल्यूडी ''ए'' के प. नं. 109/380 के किला नं. 1 ता 25 में तादादी 24.10 बीघा कृषि भूमि आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 22.07.1991 के द्वारा अपीलण्ट व अपीलाण्ट के भाई बृजलाल को किश्तों में पुख्ता आवंटित की गई थी। जो आवंटियों के नाम दर्ज हो गई। आदेश की पलाना में जरिये चालान नं. 974 दिनांक 29.07.1991 के 5000/– रूपये खजानाराम में जमा करवा दी। मगर जमा राशि का इन्द्राज तहसील कार्यालय के सैल रजस्टर में दर्ज नहीं हुआ, जिस पर जिला कलक्टर हनुमानगढ के द्वारा रकबे को रिज्यूम कर दिया गया। आवंटीयान ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर राशि का इन्द्राज सैल रजिस्टर में करवाया परन्तु सैमग्रस्त होने पर विशेष आवंटन सूचि में आ जाने के कारण इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 27.06.2019 को रकबा विशेष्ट आवंटन हेतु आरक्षित से मुक्त किया गया जिस पर अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर पत्रावली को पेशी में ली जाकर रकबा को बहाल करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में अंकित किया है कि ''किश्तों के अभाव में खारिज भूमि किसी अन्य को आवंटित नहीं होन की दशा में पुनः बहाली दिनांक 31.12.2013 तक सम्पूर्ण बकाया राशि जमा होने पर ही आवंटन प्रत्यावित किये जाने का प्रावधान नियमों में है। अर्थात स्वयं स्वीकार करते हैं कि किसी अन्य को आवंटन न किये जाने पर बकाया राशि जमा होने पर बहाली का नियम है। प्रश्नगत भूमि की बाबत अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा वर्ष 2006 व वर्ष 2020 में तसहील पीलीबंगा से इस बाबत रिपोर्ट मांगी गई जिसमें तहसीलदार ने स्पष्ट अंकित किया है कि प्रश्नगत भूमि विशेष आवंटन हेतु आरक्षित थी। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3 (45) उप/2017 जयपुर दिनांक 27.06.2019 से विशेष आवंटन से रकबा मुक्त हुआ है। अपीलाण्ट रिज्यूम के आदेश दिनांक 07.10.1996 के ज्ञान के बाद दिनांक 27.02.1997 से ही बकाया राशि जमा करवाने के लिए प्रयासरत रहे हैं उन्होंने इसके लिए कई बार

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रयास किये परन्तु विशेष आवंटन हेतु आरक्षित होने के कारण प्रश्नगत भूमि की बकाया राशि अपीलांट से जमा नहीं करवाई गई तो अपीलांट दिनांक 31.12.2013 तक बकाया राशि कैसे जमा करवा सकते थे। विशेष आवंटन सूचि में होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्णित नियम 17 (8) के प्रावधान प्रश्नगत भूमि पर लागू नहीं होते हैं। आवंटन के बाद दिनांक 29.07.1991 को 5000/– रूपये राशि जमा खजाना राज करवाई थी अर्थात आवंटीयान ने तीन किश्तों से अधिक राशि खजानाराज में जमा करवा दी थी। जिसका इन्द्रज तहसील कार्यालय के सैल रजिस्टर में नहीं होने के कारण रकबे को जिला कलक्टर महोदय द्वारा रिज्यूम किया गया था। राशि जमा करवाने बाबत आवंटीयान को तहसील कार्यालय से कभी कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई। अपीलाण्ट वर्ष 1997 से राशि जमा करवाने हेतु प्रयासरत है परन्तु विशेष आवंटन सूची में होने के कारण राशि जमा नहीं करवाई जा सकी। मूल राशि किश्त अनुसार 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से जमा करवाने के प्रावधान हैं। अपीलाण्ट राशि जमा करवाने के लिए तैयार है। प्रश्नगत भूमि पर आज भी अपीलाण्ट की कब्जा काश्त है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि पुनः बहाल 31.12.2013 तक सम्पूर्ण बकाया राशि जमा होने पर ही आवंटन प्रत्यावर्तित किये जाने का प्रावधान है। अपीलाण्ट ने 31.12.2013 तक सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई है। इसलिए विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 ता 7 ने अपील स्वीकार करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रश्गनत रकबा अपीलाण्ट एवं अपीलाण्ट के भाई बृजलाल को आवंटन अधिकारी उपखंड अधिकारी सूरतगढ के द्वारा दिनांक 22.07.1991 को ब.हि.ब बालिग पुत्रों के अन्तर्गत किश्तों में आवंटित किया गया था। अपीलाण्ट ने जिसकी किश्त के 5000/– रूपये भी जमा करवा दिये थे परन्तु तहसील के सैल रजिस्टर में उक्त राशि का इन्द्राज नहीं होने के कारण प्रश्नगत रकबे को जिला कलक्टर हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

महोदय द्वारा दिनांक 07.10.1991को रिज्यूम कर दिया गया था। आवंटियान ने सक्षम अधिकारी के समक्ष बकाया राशि जमा करवाकर रकबा पुनः बहाल करने के लिए 27.02.1997 को प्रार्थना–पत्र पेश किया। मगर रकबा सेमग्रस्त होने पर व विशेष आवंटन की सूची में आ जाने के कारण उचित कार्यवाही कर राशि जमा नहीं करवाई जा सकी। प्रश्नगत भूमि को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3 (45) उप/2017 जयपुर दिनांक 27.06.2019 से विशेष आवंटन हेतु आरक्षित से मुक्त किये जाने पर अपीलाण्ट ने आवेदन पेश कर रकबा पुनः बहाल करने का आवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रकार अपीलाण्ट प्रश्गनत रकबे को बहाल करने एवं राशि जमा करवाने के लिए लगातार तत्पर एवं प्रयासरत रहा है लेकिन उपरोक्त परिस्थिति में अपीलांट 31.12.2013 तक सम्पूर्ण बकाया राशि जमा नहीं करवा सका। इसके लिए अपीलाण्ट को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलाण्ट आज भी बकाया किश्तें जमा करवाने के लिए तैयार है। यदि कोई विधिक बाधा नहीं हो तो किश्तों के अभाव में खारिज भूमि किसी अन्य को आवंटित नही हेाने की दशा में पुनः बहाली सम्पूर्ण बकाया राशि जमा होने पर आवंटन प्रत्यावित किये जाने का प्रावधान नियमों में है। अतः न्यायहित में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2022 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः यदि कोई विधिक बाधा नहीं हो तो किश्तों के अभाव में खारिज भूमि किसी अन्य को आवंटित नही हेाने की दशा में पुनः बहाली सम्पूर्ण बकाया राशि जमा होने पर विधि अनुसार आवंटन बहाल करने की कार्यवाही करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.7.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/7/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़